

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बस्सी, जयपुर

प्रतिवादीगण

अर्जुनलाल व अन्य

बनाम

अन्तर्गत धारा 188 आर. टी. एक्ट

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से


विशेष विवरण

13/08/2021

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री गिरिराज प्रसाद प्रजापत द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत 188 आर. टी. एक्ट पेश किया गया। वादी का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण के जरिये नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 10/09/2021 को पेश हो।


277  
19/8/21

गोरिन लाली

  
उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
बस्सी, जयपुर


10/9/21

पत्रावली आज पेश हुई। मस्सीलाल बस्सी की रिपोर्ट नोटिस अउसात प्रतिवादी सरव्या के अलावा सभी पत्रावली की तामिल तथावा मानी जाती है। वकील वादी आज अउउप रिपोर्ट है। वकील प्रतिवादी सरव्या के तामिल हेतु पूना। साधारण / रफी अफ से नोटिस पेश की। पत्रावली के बाद 24/9/21 को पेश की।

  
उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट  
बस्सी जिला-जयपुर

8-10-21

पत्रावली आज राजब वेम्प प्रशासन जंतों के मुता आतिमान वेम्प कुडपल के पेश हुई। वादी व प्रतिवादीगण (बुध उपस्थिता जितनी पहिचान संतपंच प्राने पंचायत कुडपलने की है। वादी व प्रतिवादीगण के वाद पत्र पर सुना गया। पत्रावली के व पत्रावली में प्रकृत दस्तवेजों का अवलोमन किया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत बनाब से के का-पे नोटिस अवलोमन किया। पत्रावली का अवलोमन से वादी व प्रतिवादीगण के सुनने के पश्चात वादी ने मान ख. नं. 125, के ही रितीक चाही है।

  
उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट  
बस्सी जिला-जयपुर

बिना कि उक्त खसरे के उधवावा चतु खसरे में  
 500 रु. के प्रतीप लागते हुए उक्त खसरे का  
 $\frac{305}{125}, \frac{125}{2}, \frac{304}{125}$  है। बिना कि पश्चात् के  
 उपस्थित में हीमा देवी के पश्चात् पत्नी का  
 निष्काज हो सकता है। अतः जो उक्त आरजी  
 खसरे 125 के प्रतीप लागते हुए अन्य खसरे का  
 $\frac{305}{125}, \frac{125}{2}, \frac{304}{125}$  स्थित उक्त वादवास्तव में  
 कसरी के खसरे को वाद में पश्चात् कसरी  
 जाने के आदेश दिए जाते हैं तत्पश्चात् वादी  
 का वाद खसरा निष्काज वाद उक्त आरजी  
 खसरे  $\frac{125}{1}, \frac{305}{125}, \frac{125}{2}, \frac{304}{125}$  स्थित उक्त वाद  
 वाद तत्पश्चात् कसरी जिला जयपुर के मन्त्रालय में  
 दो नं. अ. नि. व. चार पश्चात् के हीमा देवी  
 की बिना उक्त आरजी की हीमा देवी निष्काज  
 वजे हेतु आदेश दिए जाता है। कसरी की उक्त हीमा  
 देवी का उक्त एक एक दुसरे के वजले वाद में  
 सब नहीं होने के लिए पाबंद रहेंगे। यदि कसरी  
 एक के पास में कसरी से ज्यादा भूमि होगी तो उसे  
 दोसरे के लिए पाबंद रहेंगे अन्यथा तभी सदा  
 केवल वजे के लिए अधिकृत होंगे और  
 यदि उक्त एक के पास में कसरी कम है तो  
 अनुपातिक रूप से कम भूमि को हटाकर कसरी  
 के लिए पाबंद रहेंगे। जब तक तभी सदा कसरी  
 का वाद उक्त आरजी की हीमा देवी कापस नहीं  
 का दी जाती है तब तक उक्त एक कसरी से कसरी  
 की पक्षा स्थिति बरकरार (बर्करार) रखने हेतु  
 पाबंद रहेंगे। तभी सदा कसरी। अतः में उपरोक्तानुसार  
 वाद उक्त भूमि की हीमा देवी कापस वजे हेतु पाबंद  
 रहेंगे। अतः उपरोक्तानुसार वादी का वाद

*(Signature)*

दिनांक आवा या कार्यवाही	आज्ञा विवरण २.१ से	विशेष विवरण
394 12/10/21 तहसील बस्ती (बस्ती)	<p>डिप्टी कमिश्नर है। डी अगुस्त डिप्टी            जाही हो प्रतापजी के लिये हुमाट होकर            बहसगीर इच्छा करत हो।</p> <p>श्राद्ध क्रमांक 810-2 को पहचान            प्रशासन आबो के संग जमीनगत के मय बुझा            के मजदो आबो में हुताया गया</p>	<p><i>Be</i>            उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट            बस्ती जिला-जयपुर</p>
		<p><i>Sarita</i>            (सरिता मीना) 8/10/21            सरपंच            ग्राम पंचायत बृहन्मल            पं.स. बस्ती, जयपुर</p>